The study of academic achievement and study relationship problems of deaf students (with reference to Rajasthan)

मूकबधिर विद्यार्थियों के समायोजन, शैक्षिक उपलब्धि एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन (राजस्थान के सन्दर्भ में)

Hariom Kumar1, Dr. Dheeraj Shinde2
Sri Sathya Sai University of Technology and Medical Sciences, Sehore
हरिओम कुमार[1], डॉ. धीरज शिंदे[2]

[1] शोधार्थी, श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विष्वविद्यालय, सीहोर
[2] सह–प्राध्यापक, श्री सत्य सांई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विष्वविद्यालय, सीहोर

सार

षिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। बालक की जन्मजात षक्तियों के स्वाभाविक एवं प्रगतिषील विकास में षिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में षिक्षा–क्षेत्र में बालक निष्क्रिय श्रोता मात्र ही नहीं समझा जाता वरन् सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है। षिक्षण प्रकिया में अध्यापक का कर्तव्य है कि वह बालक को सक्रिय बनाकर उसकी षारीरिक–मानसिक षक्तियों, योग्यताओं, रूचियों एवं रूझान का अध्ययन करे और उसकी क्षमताओं के अनुकूल उसकी जन्मजात षक्तियों के स्वाभाविक विकास का हर संभव प्रयास करता हुआ षिक्षा प्रदान करे। बालक की षिक्षा माँ की गोद से ही प्रारम्भ हो जाती है, घर उसकी प्रारम्भिक पाठषाला कहा गया है किन्तु सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन के साथ–साथ षिक्षण कार्य समाज का अनिवार्य कर्तव्य हो गया है। षिक्षा प्रदान करने का उŸारदायित्व विषिष्ट व्यक्तियों को सौंप दिया गया जिन्हें षिक्षक कहा जाने लगा। षिक्षा प्रदान करने के लिए जिस विषेष स्थान का चयन किया जाने लगा उसे विद्यालय की संज्ञा दी गई।

स्वाभाविक प्रगतिषील विकास षिक्षा

---

1. प्रस्तावना

किसी भी शोधार्थी के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञानकोषों, पत्र–पत्रिकाओं, षोधप्रबन्धों तथा अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या का चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अनुसंधान प्रारूप तैयार करने एवं कार्य को आगे बढा़ ने में सहायता मिलती है। षोध विषय का चयन कर लेने के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण चरण सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन होता है। यदि अध्ययन विषय से सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना ही षोध आरम्भ कर दिया जाता है तो इसमें सम्पूर्ण षोध प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने की सम्भावना रहती है। अतः आवष्यक है कि प्रारम्भ में ही षोध से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन कर लिया जाए। सम्बन्धित साहित्य में लेख, पत्र–पत्रिकाएँ, पुस्तकें, प्रतिवेदन, षोधग्रंथ इत्यादि आते हैं जिनके अध्ययन से शोधार्थी को अपनी समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढा़ ने में सहायता मिलती है।

जे. एफ. रमल[1] के अनुसार– ''नियमानुसार कोई भी षोध उस समय तक उपयुक्त नहीं समझा जा सकता है जब तक कि षोध से सम्बन्धित साहित्य का लिखित विवरण प्रस्तुत अध्ययन में नहीं दिया गया हो।'' अतः षोधार्थी के मार्ग को प्रषस्त करने एवं षोधकार्य के उद्देष्यों को सुनिष्चित करने से सम्बन्धित साहित्य का अत्यधिक महत्व है। षोधार्थी अन्य विद्वानों के कार्यों का निरीक्षण करते हुए उन ग्रन्थों लिए अत्यंत लाभप्रद एवं सहायक हो सकते हैं।अध्ययन से सम्बन्धित षोध षोधार्थी द्वारा प्रयुक्त षोध में पूर्व में हुए षोधों का अध्ययन षोध से सम्बन्धित आयामों– समायोजन, षैक्षिक उपलब्धि एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन को दो भागों में विभाजित कर किया है। प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का प्रस्तुतिकरण एवं विवेचना अग्रांकित क्रम में की गई है–

1.1 विषिष्ट बालक अर्थ एवं परिभाषा–

ऐसे बालक जो षारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक रूप से सामान्य बालकों से अलग है तथा जो समाज के सामान्य मापदण्डों के अनुसार व्यवहार नहीं करते तथा समाज में समायोजन नहीं कर पाते, विषिष्ट बालक कहलाते हैं।

क्रो तथा क्रो [2] के मतानुसार–'' विषिष्ट षब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति द्वारा प्रदर्षित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिये होते हैं जिसके कारण व्यक्ति विषेष की ओर उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है और उसके कारण उसकी व्यावहारिक प्रतिक्रियाएँ तथा कार्य प्रभावित हो जाते हैं।'' उक्त विद्वानों के विचारों को समन्वित करके विषिष्ट बालक के स्वरूप की व्याख्या की जाए तो यह कहा जा सकता है कि ऐसा बालक जो कि षारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, षैक्षिक एवं व्यावहारिक विषेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक भिन्न होता है जहाँ कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं षक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परम्परागत षिक्षण विधियों में परिमार्जन या विषिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवष्यकता होती है, विषिष्ट बालक कहा जाता है।

उपर्युक्त विषिष्टता के आधार पर विषिष्ट बालकों को एस. के. मंगल 3 के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है–

चित्र संख्या 1.1 विशिष्टता के आधार पर विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण

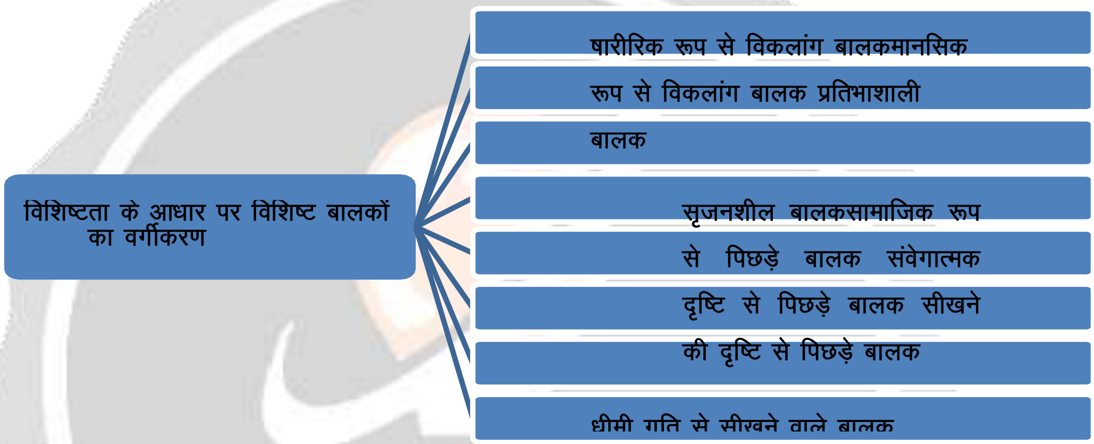

उपर्युक्त समूह में से षारीरिक रूप से विकलांग बालकों के समूह के मूक–बधिर बालकों से सम्बन्धित तथ्यों को अध्ययनार्थ लिया गया है। मूक–बधिर बालक – ऐसे बालक जो बोल एवं सुन नहीं पाते, मूक– बधिर बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों को विषेष रूप से प्रषिक्षण की आवष्यकता होती है और तत्पष्चात् इनको सामान्य स्कूलों में प्रवेष दिया जा सकता है। इनके लिए सांकेतिक भाषा व श्रवण यंत्रों की आवष्यक होती है। जिससे इन्हें समझने, सुनने और अपना कार्य करने में सहायता मिलती है। श्रवण षक्ति खो चुके बालकों को

श्रवण–यंत्र और प्रषिक्षण की जरूरत होती है। इस प्रकार से बालकों को सुनने के साथ–साथ वस्तुएँ दिखाकर षिक्षा दी जानी चाहिए। इनके लिए विषेषज्ञों की सहायता ली जानी चाहिए। मूक–बधिर विद्यार्थियों के लिए इनके अनुकूल विषिष्ट विद्यालयों की आवष्यकता होती है। इन विद्यालयों में मूक–बधिर विद्यार्थियों के लिए सम्प्रेषण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

1.2 समस्या का औचित्य

राजस्थान राज्य भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से आठवाँ बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है जिसमें दिव्यांगों की जनसंख्या 15,63,684 है। राजस्थान में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 8,48,287 है और महिलाओं की संख्या 7,15,407 है। दिव्यांगों के इस वर्ग में मूक बधिरों की संख्या 2,88,357 है। भारत का बड़ा राज्य होने के बावजूद षैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। यहाँ की साक्षरता दर 66.11 प्रतिषत है जो कि निम्न षैक्षिक स्तर का सूचक है। राज्य के षैक्षिक पिछड़ेपन के कारण सभी सामान्य बालकों की षैक्षिक ढाँचे तक पहुँच नहीं है, विषिष्ट बालकों की षिक्षा के सम्बन्ध में स्थिति अत्यंत निराषाजनक है। विषिष्ट बालकों की षिक्षा के लिए न पर्याप्त विषिष्ट विद्यालय हैं, न प्रषिक्षित अध्यापक और न ही भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। इन विषिष्ट बालकों के वर्ग में एक बड़ी संख्या मूक बधिर बालकों की है मूक बधिर विद्यार्थी न तो बोल पाते हैं और न ही सुन पाते हैं जिससे ये समाज में अपने विचारों का आदान–प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। ये अपने आसपास के वातावरण, परिवार एवं मित्र मण्डली के साथ उचित सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं एवं समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड पाते हैं, फलतः ये कुसमायोजित हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका समाज के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। यद्यपि सरकार द्वारा मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना की गई है, विभिन्न प्रकार के प्रषिक्षण प्रोत्साहन एवं छात्रवृति योजनाएँ चलाई जा रही हैं

व्यावसायिक प्रषिक्षण के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथापि ये सारे प्रयास इन विद्यार्थियों की समस्याओं का उचित समाधान कर उनका दृष्टिकोंण सकारात्मक बनाने में आषानुरूप सफल नहीं रहे है। इस दिषा में सर्वप्रथम आवष्यकता इस बात की है कि मूक बधिर विद्यार्थियों को भलीभाँति समझा जाए, उनकी आवष्यकताओं को पहचाना जाए, उनके समायोजन, षैक्षिक उपलब्धि एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं को ज्ञात किया जाए ताकि इन समस्याओं को ज्ञात कर उनका उचित समाधान ढूँढा जाए। इस दिषा में षोधार्थी के समक्ष कुछ स्वाभाविक प्रष्न उत्पन्न हुए जो प्रस्तुत षोध समस्या के चयन का कारण बने। वे प्रष्न निम्नलिखित हैं–

1- मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के समायोजन में क्या–क्या विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं ?

2- मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के समायोजन में विभिन्न आयामों–सामाजिक, संवेगाात्मक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बंधी समायोजन में क्या–क्या विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं ?

3- सरकारी और गैर सरकारी मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन में क्या–क्या विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं ?

4- सरकारी और गैर सरकारी मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में क्या–क्या विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं ?

5- मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में क्या–क्या विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं ?

6- मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं में क्या–क्या विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं ?

7- सरकारी और गैर सरकारी मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं में विभिन्न आयामों– षिक्षण अधिगम सम्बन्धी, छात्र–शिक्षक सम्बन्ध से सम्बन्धित, भौतिक वातावरण सम्बन्धी, मूल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धी एवं अन्य सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं के आधार क्या–क्या विभिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं ?

8- मूक बधिर विद्यार्थियों के समायोजन एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं में किस प्रकार का सम्बन्ध परिलक्षित होता है ?

2. भारत में हुए शोध अध्ययन

लेले, वैजयन्ती और खालेदकर, आरती (1997)[2] ने ए स्टडी टू आइडेन्टीफाइड द लर्निंग प्रोब्लम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन लैंग्वेज टैक्स्ट बुक (मराठी) ऑफ प्राइमरी लेवल एण्ड डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट एक्सप्लेनेटरी (इन्स्ट्रक्षनल) मेटेरियल टू इम्प्रूव देयर यूजेज ऑफ लैंग्वेज में अध्ययन के उद्देष्य– मराठी भाषा के अधिगम में श्रवण बाधित बच्चों की अधिगम–समस्याओं को पहचानना; मराठी भाषा की पाठ्यपुस्तकों के षिक्षण

अनुदेषन सामग्री को तैयार करना; भाषा अधिगम में आने वाली समस्याओं को दूर करना और भाषा षिक्षण के उद्देष्यों को प्राप्त करना थे। प्रस्तुत अध्ययन में नासिक के श्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय के कक्षा 4 के 9 बालकों को न्यादर्ष में सम्मिलित किया गया। इस समूह को नियन्त्रित इकाईयों के रूप में माना गया जिसमें एक का रूप सामान्य था और एक का प्रयोगात्मक। दोनो समूहों को समान षिक्षकों द्वारा षिक्षित किया गया। इसमें कौषल के व्यक्तिगत विचलन को हटाने पर ध्यान दिया गया। विष्लेषण हेतु माध्य, प्रमाप विचलन तथा टी–टेस्ट का प्रयोग किया गया। अध्ययन के फलस्वरूप ज्ञात हुआ कि– श्रवण बाधित बच्चों के पठन और लेखन की भाषाई व्यापकता में कमी पायी गयी। सामान्य बच्चों के लिये तैयार मराठी भाषा की पाठ्यपुस्तक के अधिगम में भाषा–समस्याओं का सामना करना पड़ा । श्रवण बाधित बच्चों के पाठ्यपुस्तकों की अनुदेषनात्मक सामग्री विकसित की गई। समान पाठ पढ़ा ने की स्थिति में सामान्य बच्चों की अपेक्षा श्रवण बाधित को अधिक कालांषों की आवष्यकता महसूस हुई।

पाठक, शुभद्रा (1997)ङ ने मेंटल एबलिटी ऑफ डेफ चिल्ड्रन एण्ड देयर एजुकेषनल प्रोब्लम्स का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देष्य मूक बच्चों की मानसिक योग्यता का अध्ययन करना तथा सामान्य बालकों के साथ मूक बच्चों की मानसिक योग्यता की तुलना करना था। अध्ययन के न्यादर्ष के रूप में नागपुर के अमबाजरी रोड के मूक बधिर औधोगिक संस्था से 50 मूक बच्चों को सम्मिलित किया गया और नागपुर के रजत महोत्सव हाईस्कूल धरमसेठ के सामान्य सुनने वाले बालकों में से 50 बालकों का यादृच्छिक न्यादर्ष के रूप में चयन किया गया। ों को एकत्रित करने के लिये रेवन के कलई प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स उपकरण का प्रयोग किया गया। ों के विष्लेषण हेतु एनोवा का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप यह सामने आया कि मूक बालकों ने मानसिक योग्यता परीक्षण में अधिक अंक प्राप्त किये।

परांजपे, संध्या (1998)[4] ने एचीवमेन्ट ऑफ नार्मल एण्ड हैण्डीकेप्ड प्यूपिल्स एट द एण्ड ऑफ द प्राइमरी सर्किल का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देष्य प्राथमिक चक्र के अन्त में सामान्य व श्रवण विकलांगता वाले बालकों की भाषा व गणित विषय में उपलब्धि की तुलना करना था। अध्ययन के न्यादर्ष के रूप में पुणे के 5 सामान्य विद्यालयों एवं 2 विषिष्ट विद्यालयों के क्रमषः 30 सामान्य बालक एवं 30 श्रवण बाधित बालकों को सम्मिलित किया गया। एकत्रीकरण के लिए भाषायी दक्षता परीक्षण व गणित उपलब्धि परीक्षण के उपकरण का प्रयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि सामान्य एवं बधिर बालकों की भाषा में उपलब्धि भिन्न थी। लिंग के आधार पर उपलब्धि प्रदर्षन में भिन्नता उत्पन्न नहीं हुई, विषिष्ट विद्यालयों के पष्चात बधिरों ने गणित में पहले से मुख्य धारा में जुडे बालकों से अǔछा प्रदर्षन किया।

ज्योथि, डी. अरूणा एवं रेड्डी, आई. वी. रमन (1998)[5] ने कम्परेटिव स्टडी ऑफ एडजेस्टमेंट एण्ड सेल्फ कनसेप्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड एण्ड नार्मल चिल्ड्रन का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देष्य सामान्य व श्रवण बाधित बालकों के समायोजन और आत्मप्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन करना था। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्ष के रूप में दो सामान्य विद्यालय और मूक बालकों के लिए विषिष्ट विद्यालयों से बराबर संख्या में कुल 460 सामान्य और मूक बालकों को सम्मिलित किया गया। विद्यालयों और बालकों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया। एकत्रीकरण हेतु बेल की समायोजन मापनी के संषोधित रूप और ऑसगुड के सीमेंटिक डिफरेन्षियल स्केल का प्रयोग किया गया। माध्य, प्रमाप विचलन और टी–टेस्ट का प्रयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि श्रवण बाधित और सामान्य बालकों को तीन क्षेत्रों स्वास्थ्य, भावात्मक और पुरूषत्व–स्त्रीत्व में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया जबकि सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रवण बाधित बालकों ने समायोजन के तीनों क्षेत्रों में उच्च गुणवता को प्रदर्षित किया।

आषा, सी. बी. (1999)[6] ने क्रिएटिविटी ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड एण्ड नार्मल चिल्ड्रन, डिसऐबिलिटीज एण्ड इम्पेअरमेंट्स का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देष्य सृजनात्मकता में सामान्य बालकों की श्रवण बाधित बालकों से भिन्नता ज्ञात करना था। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन का उद्देष्य सृजनात्मकता की पक्ष प्रवाहता, लोचषीलता, वास्तविकता में सामान्य बालकों और श्रवण बाधित बालकों में भिन्नता का अध्ययन करना था। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्ष के अन्तर्गत कालीकट यूनिवर्सिटी के नजदीक सरकारी विद्यालय से 36 बालकों (18 लड़के, 18 लड़कियाँ) तथा कालीकट के श्रवण बाधितों की संस्था से 33 बच्चों को लिया गया। का एकत्रीकरण आषा द्वारा प्रारूपित सृजनात्मक परीक्षण का प्रयोग किया गया जिसमें दो परीक्षण ऑबजेक्ट डिजाइनिंग परीक्षण और कन्स्ट्रक्षन इलाब्रेषन परीक्षण सम्मिलित हैं। बच्चों के विष्लेषण हेतु माध्य, प्रमाप विचलन तथा टी–टेस्ट का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप पाया गया कि सृजनात्मकता की दृष्टि से सामान्य और श्रवण बाधित बालकों में सार्थक भिन्नता पायी गयी। श्रवण बाधित बच्चों की अपेक्षा सामान्य बालकों में अधिक सृजनात्मकता पायी गयी। प्रवाहता में सामान्य व श्रवण बाधित बच्चों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। यद्यपि दो समूहों के बालकों की लोचषीलता में सामान्य बालकों ने अधिक अंक प्राप्त किए। वास्तविकता के संदर्भ में भी समान प्रवृǐि देखने को मिली कि दूसरे बालकों की अपेक्षा सामान्य बालकों ने उच्च माध्य अंक प्राप्त किये।

शर्मिष्ठा, पी. एस. (2001)[7] ने एन एक्सपेरीमेन्टल स्टडी टू एनहैन्स स्पासिपल कानसेप्ट लर्निंग एमंग हियरिंग इम्पेयर्ड डिसएबिलिटीज एण्ड इम्पेयरमेन्ट का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देष्य 6–7 वर्ष की आयु के सामान्य श्रवण बालकों की तुलना में इस आयु वर्ग के श्रवण बाधितों की पूर्व परीक्षण के माध्यम से बहुभाषा सम्बन्धी अवधारणा को जानना व मध्यस्थता से श्रवण बाधितों को बहुभाषा सम्बन्धी अवधारणा सीखने में सहायता प्रदान करना था। अध्ययन के न्यादर्ष के रूप में मैसूर व कर्नाटक के विषिष्ट विद्यालयों व एकीकृत विद्यालयों से 50 श्रवण बाधित व 50 सामान्य बालकों सहित कुल 100 बालक लिए गए। अध्ययन के बालकों के एकत्रीकरण के लिए खेन का रंग, विकास ढा़ंचा, मूलभूत अवधारणा का विकास, प्रथम निरीक्षण तथा मध्यस्थ सामग्री का विकास कठिन अवधारणाओं की पहचान हेतु प्रयुक्त किया गया। प्रदषों के विष्लेषण के लिए टी–परीक्षण व सहसम्बन्ध आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रवण बाधित बालकों में कठिन बहुभाषी अवधारणाएँ सीखने में समर्थता अधिक थी। श्रवण बाधित को दी गई मध्यस्थता प्रभावी रही। नियन्त्रित समूह के सामान्य श्रवण व श्रवण बाधित बालक दोनों की प्रस्तुति प्रभावी रही। इसमें सम्पूर्ण सम्प्रेषण विधि का प्रयोग, दृष्यों की उपलब्धता और बहुसंवेगी उपागम ने श्रवण बाधितों को बहुभाषा की अवधारणा को सीखने में मदद प्रदान की। अच्छी भाषा व सीखने की अवधारणा से अर्थपूर्ण सम्बन्ध पाया गया। अच्छी भाषा वाले कारकों ने बेहतर ढंग से अवधारणा विकसित की।

ज्योथि, डी. (2002)[8] ने पर्सनेलिटी प्रोफाइल हियरिंग इम्पेयर्ड एण्ड नार्मल चिल्ड्रन का अध्ययन किया। अध्ययन के उद्देष्य बधिर एवं सामान्य बालकों के व्यक्तित्व गुणों एवं व्यक्तित्व रूपरेखा की तुलना करना। प्रायिकता न्यादर्षन द्वारा 460 बालकों (230 श्रवण बधिर एवं 230 सामान्य) को चयनित किया गया संकलन के लिए पोर्टर एवं कैटल द्वारा विकसित चिल्ड्रन परसेनिलिटी प्रष्नावली का प्रयोग किया गया निष्कर्षतः पाया गया कि श्रवण बधिर एवं सामान्य बच्चों के व्यक्तित्व रूपरेखा में सार्थक अन्तर पाया गया। सात व्यक्तिगत गुणों में श्रवण बधिर बच्चे सामान्य बालकों से भिन्न पाये गये, अन्य गुणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

साहू , पुरूषोतम (2003)[9] ने डवलपिंग ऑफ रीडिंग टैक्सचुअल मैटीरियल एमंग हियरिंग इम्पेयर्ड एण्ड नार्मल चिल्ड्रन का अध्ययन किया। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देष्य निम्न प्रकार हैं–प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत श्रवण दोषयुक्त एवं सामान्य बालकों के पठन अनुभव व अवस्था के स्तर की जाँच करना तथा तीन विभिन्न प्रषिक्षण समच्चय से श्रवण दोषयुक्त एवं सामान्य बालकों के पठन–बोध का विकास करना। न्यादर्ष हेतु 80 श्रवण दोषयुक्त एवं सामान्य बालक–बालिकाओं को प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु चयनित किया गया। चयनित न्यादर्ष को दो समूहों में बाँटा गया। इनमें से एक समूह को तीन विभिन्न प्रषिक्षण समच्चय (प) भाषा अनुभव अप्रोच कार्यक्रम (पप) बहुसंवेदी अप्रोच कार्यक्रम (पपप) ध्वनि विभेदता कार्यक्रम द्वारा पढा़ या गया। विष्लेषण हते ु प्रमाप विचलन एवं टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया । निष्कर्षतः पाया गया कि (प) प्रयोगात्मक समूह के श्रवण दोषयुक्त एवं सामान्य बच्चों की पठन अनुभव अवस्था में बहुत सार्थक सुधार देखा गया। बालकों की तुलना में बालिकाओं के पठन बोध में परीक्षण समुच्चय का अधिक प्रभाव रहा।

सतपथी, एसए ए.ड सिंघल, एम. (2003)[10] ने सोषल इमोषनल एडजेस्टमेन्ट ऑफ हियरिंग एण्ड नॉन इम्पेयर्ड एडोलसेन्ट गर्ल एण्ड जेण्डर डिफरेन्सेज का अध्ययन किया उन्होने निष्कर्ष निकाला कि श्रवण बाधित बच्चें सामान्य बालकों की तुलना में संवेगात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से अधिक समायोजित होते है।

आहूजा, ए. (2004)[11] ने ए स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ काम्प्रीहेंसिव इन्टरवेंसन स्ट्रेटजी ऑन एचीवमेन्ट कानसेप्ट एण्ड सोषियल स्किल डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग डिसएबल्ड चिल्ड्रन का अध्ययन किया। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देष्य अधिगम निर्योग्य बालकों की उपलब्धि, आत्म–सम्प्रत्यय एवं सामाजिक कौषल विकास पर बोध हस्तक्षेप व्यूह रचनाओं (बै) के प्रभाव का अध्ययन करना था। क्रमिक न्यादर्षन द्वारा दिल्ली विद्यालय के कक्षा 3–5 वीं में अध्ययनरत 12 विद्यार्थियो को चयनित किया गया। संकलन हेतु अवलोकन अध्यापक रेटिंग स्केल, डिट्रीइज एडजस्टमेन्ट इनवेन्ट्री–कॉपर स्मिथ इनवैन्ट्री एवं बिहेवियरल सैल्फ एस्टीम का प्रयोग किया गया। निष्कर्षतः पाया गया कि बै के पठन कौषल, आकारीय प्रस्तुतीकरण, पूर्ण जानकारी, अंष एवं पूर्ण में भिन्नता बताना, आकार मिलाने की क्षमता, अपूर्ण एवं सम्पूर्ण की पहचान के साथ–साथ आत्म संप्रत्यय एवं सामाजिक समायोजन में भी सार्थक सुधार पाया गया।

3. शोध अनुस्थापन एवं क्रियान्वयन

किसी भी षोध प्रविधि का चयन करने से पूर्व षोधार्थी को उसकी उपयुक्तता एवं महत्व का ज्ञान आवष्यक रूप से होना चाहिए । अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत सी षोध विधियाँ प्रचलित हैं जैसे–ऐतिहासिक विधि, प्रयोगात्मक विधि , सर्वेक्षण विधि आदि। अनुसंधान की विभिन्न विधियों में सर्वेक्षण विधि का महत्व षैक्षिक षोध–जगत में बढ़ गया है।

करलिंगर1 के अनुसार ”सर्वेक्षण अनुसंधान सामाजिक वैज्ञानिक अन्वेषण की षाखा है, जिसके अन्तर्गत व्यापक तथा कम आकार वाली जनसंख्याओं का अध्ययन उनमें से चयनित प्रतिदर्षों के आधार पर इस आषय से किया जाता हैकि उनमें व्याप्त सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों पारस्परिक अन्तःसम्बन्धों का ज्ञान उपलब्ध हो सके।
सर्वेक्षण अनुसंधान में किसी विषेष समय, स्थिति अथवा घटना का वर्णन होता है। अतः इसके आधार पर सार्वकालिक भविष्य कथन असंगत है। तात्कालिक समस्याओं के विषय में अवष्य विचार कर सकते हैं। भौतिक परिस्थितियों से सम्बन्धित आंकडे स्थिर प्रकृति के होते है किन्तु सामाजिक परिस्थितियाँ नित्य परिवर्तनषील हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर एवं प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति व उददेष्य के अनुसार षोधार्थी ने अपनी समस्या के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि को उपयुक्त पाया है।

जनसंख्या

प्रत्येक शोध कार्य हेतु में जनसंख्या का निर्धारण करना आवष्यक हाते ा है क्योंकि इसी जनसंख्या में से तथ्यों का संकलन किया जाता है। जनसंख्या से तात्पर्य सम्पूर्ण इकाइयों के निरीक्षण से होता है। शोध की जनसंख्या में एक विषिष्ट समूह के समस्त व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। एक विशिष्ट समूह की समस्त इकाइयों को मिलाकर जनसंख्या कहा जा सकता है। ये समस्त इकाइयाँ जो अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं सामूहिक रूप से समष्टि कहलाती है। पी बी यंग2 के अनुसार ”वह समस्त समूह जिसमें से प्रतिदर्ष का चयन किया जाता है जनसंख्या कहलाती है अतः षोध की जनसंख्या में षोध से सम्बन्धित एक विषिष्ट समूह की विषिष्ट इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जो कि समग्रता के अर्थ में सजातीय होते हैं। प्रत्येक षोधार्थी के लिए जनसंख्या का निर्धारण करना अभीष्ट है। इसी जनसंख्या के सर्वेक्षण से तथ्यों का संकलन किया जाता है। प्रस्तुत षोध अध्ययन में जनसंख्या के रूप में राजस्थान में स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों सम्मिलित किया गया है।

न्यादर्श

प्रत्येक शोध कार्य में न्यादर्श का चयन अपरिहार्य होता है। चूँकि शोधकर्ता के लिए सम्पूर्ण जनसंख्या का अध्ययन एक कठिन कार्य होता है, इसी कारण शोधकर्ता समय, श्रम एवं धन के अपव्यय को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधि से न्यादर्श का चयन करता है। इस प्रकार न्यादर्श के प्रयोग से शोध परिणामों को अधिक शुद्ध, व्यावहारिक एवं मितव्ययी बनाया जाता है। न्यादर्श किसी सम्बन्धित जनसंख्या का एक लघु समूह होता है जिसे अध्ययन हेतु चुना जाता है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि चुना हुआ लघु समूह जनसंख्या का वास्तविक रुप में प्रतिनिधित्व करे।

षोधार्थी ने अध्ययन के उद्देष्यों के अनुसार राजस्थान के सरकारी एवं गैर सरकारी मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा दसवीं

के विद्यार्थियों का न्यादर्षन विधि से चयन किया गया है। विद्यालयवार न्यादर्श का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका संख्या 3.1

विद्यालयवार न्यादर्श का विवरण

क्रम संख्या	मूक बधिर विद्यालयों के प्रकार	छात्र	छात्रा	कुल
1	सरकारी विद्यालय	77	32	109
2	गैर सरकारी विद्यालय	53	28	81
	योग	130	60	190

अध्ययन के चर

प्रस्तुत अध्ययन के स्वतंत्र चर हैं–

- मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी (छात्र एवं छात्राएँ)
- सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय प्रस्तुत

अध्ययन में आश्रित चर है–

- समायोजन
- षैक्षिक उपलब्धि

अध्ययन सम्बन्धी समस्याएँ

स्रोत

संकलन शोध प्रकिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। कोई भी शोध कार्य जब तक पूर्ण नहीं माना जाता है तब तक कि शोधं का संकलन न किया जाये। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। राजस्थान राज्य में स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी मूक बधिर विद्यालयों

शोध की प्रकृति

प्रस्तुत शोध अध्ययन में की प्रकृति मात्रात्मक है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

अनुसंधान प्रक्रिया की एक और महत्वपूर्ण कड़ी अनुसंधान सामग्री का संग्रह है। अनुसंधान के उद्देष्यों की पूर्ति व परिकल्पनाओं का परीक्षण उपयुक्त एवं सम्बन्धित सूचनाओं एवं सामग्री के विष्लेषण पर निर्भर करता है। प्रत्येक अनुसंधान में ऐसे कितने ही चर, कितनी ही ऐसी परिस्थितियाँ एवं घटनाएँ समाहित रहती हैं, जिनके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना उनका मापन एवं मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है। यह जानकारी अनेक उपकरणों एवं विधियों के द्वारा प्राप्त की जाती है।

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण निम्नलिखित हैं–

(प) समायोजन सम्बन्धी प्रष्नावली (स्वनिर्मित)

(पप) षैक्षिक उपलब्धि सूचना प्रपत्र ।

(पपप) अध्ययन सम्बन्धी समस्या प्रष्नावली (स्वनिर्मित)।

3.2 अध्ययन प्रक्रिया

अध्ययन प्रक्रिया किसी भी शोध अध्ययन की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी भी शोध का क्रियान्वयन किया

जाता है। प्रस्तुत अध्ययन की पूर्ति के क्रम में अपनायी गई प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

1- अध्ययन प्रक्रिया के प्रथम चरण में शोधार्थी द्वारा पवू ि में हुए शोधों सेसम्बन्धित साहित्य का अध्ययन कर शोध की सम्प्रत्ययात्मक पृष्ठभूमि तैयार कर शोध के उद्देश्य, परिकल्पना एवं शोध उपकरण का निर्माण किया गया।

2- अध्ययन उपकरण को प्रमापीकृत करने के लिए उपकरण को न्यादर्श के लघुरूप पर प्रशासित कर अर्द्धविच्छेदन विधि का प्रयोग करविश्वसनीयता एवं वैद्यता ज्ञात की गई तथा विभिन्न शिक्षाविदों से उसकी जाँच करवायी गई।

3- अध्ययन प्रक्रिया के द्वितीय चरण में शोधार्थी द्वारा राजस्थान राज्यमें स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी मूक बधिर विद्यालयों का इन्टरनेट एवं दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग के माध्यम से पता लगाया।

4- अध्ययन में उल्लेखित जनसंख्या में से तटस्थ होकर पूर्ण प्रतिनिधित्व न्यादर्श का चयन करने के लिए मूक बधिर विद्यालयों में से सरकारी एवं गैर सरकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया।

5- न्यादर्श में चयनित मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर उपकरण प्रशासित करने हेतु विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से मुलाकात की। प्रधानाध्यापक द्वारा षोधार्थी का स्वागत कर विद्यालय से सम्बन्धित उपयोगी जानकारीप्रदान की एवं विद्यालय कअध्यापकों–कर्मचारियों से परिचय कराते हुए उन्हे षोधार्थी को षोधकार्य में सहयोग करने हेतु निर्देषित किया।

6 मूक बधिर विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों से परिचय कराया गया एवं विद्यार्थियों को शोध उपकरण से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिए गए, उपकरण से सम्बन्धित प्रष्नों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करनें में विद्यार्थियों की सहायता की गई तथा उपकरण की पूर्ति हेतु अनुरोध किया गया। संकलन के पश्चात मूक बधिर विद्यालयों के विद्यार्थियों का लिंगभेद (छात्र एवं छात्रा) एवं सरकारी–गैर सरकारी विद्यालय के आधार पर वर्गीकृत किया गया। शोधार्थी द्वारा प्राप्त ों का प्रकृति के आधार पर अंकन किया गया एवं त्रुटिपूर्ण व अपूर्ण भरे हुए प्रपत्रों को निरस्त कर दिया गया।

7 प्रकृति के आधार पर प्राप्त अंकन से सांख्यिकीय विश्लेषण कर प्राप्त मानों की तुलना प्रमापीकृत मान से कर शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण कर निष्कर्ष ज्ञात किये गये।

4. आँकडों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं अर्थापन

किसी भी षोधकार्य के लिए सामान्यतः षोधकर्ता सर्वप्रथम समस्या का चयन करता है। इसके पष्चात् वह समस्या के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है, प्रतिदर्ष का चयन करता है तथा आँकडों का समंक संग्रह हेतु आवष्यक उपकरणों के निर्माण की व्यवस्था करता है। एकत्रित हो जाने के पष्चात उपयुक्त सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर ों का विष्लेषण किया जाता है। किसी भी अनुसंधान की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कितनी उपयुक्त एवं विष्वसनीय प्रविधियों के द्वारा आँकडों को संकलित किया गया है अपितु इस बात पर भी निर्भर करती है कि संकलित किए गए आँकडों को किस प्रकार विष्लेषित किया गया है। विभिन्न उपकरणों के द्वारा संकलित तथ्य चाहे कितने ही वैध क्यो न हों तब तक अव्यवस्थित ही होते हैं जब तक उनको प्रयोजनषील एवं उपयोगी कार्य में प्रयुक्त करने से पूर्व सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित अर्थात वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध न किया जाए।

विष्लेषण का अर्थ है– उनमें निहित तथ्यों एवं अर्थों को निर्धारित करने हेतु सारणीबद्ध करना, विषय सामग्री के रूप में अध्ययन करना तथा उसके अंतर्गत जटिल कारकों को खण्डित करके सरल अंषों में विभाजित करना एवं व्याख्या के उद्देष्यों से उन अंषों को नवीन व्याख्या के संदर्भ में संगृहीत करना।

इस संदर्भ में लुण्डबर्ग (1951) का कहना है कि 'किसी भी समस्या का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने का तात्पर्य संकलित समंकों का क्रमबद्ध अवलोकन वर्गीकरण तथा विवेचन करना है। हमारी प्रतिदिन के निष्कर्षों तथा वैज्ञानिक विधियों में मुख्य अंतर उसके सत्य दृढता तथा सत्याापन किए जा सकने की षक्ति योग्यता तथा विष्वसनीयता आदि में है।'

करलिंगर के अनुसार – ''विश्लेषण के अन्तर्गत प्राप्त आँकड़ों को क्रमबद्ध

रूप प्रदान किया जाता है तथा उनको संघटक भागों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसन्धान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जा सकें।''

अतः एक निष्चित प्रतिदर्ष पर उपकरण के प्रषासन, फलांकनों का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विष्लेषण और विवेचन आवष्यक होता है जिससे षोधकार्य से सम्बंधित उपलब्धियों का निरूपण किया जा सके। प्रस्तुत षोध अध्ययन में एकत्र आँकडों को चार भागों में विभाजित कर विष्लेषण किया गया है जो कि इस प्रकार है–

- मूक बधिर विद्यार्थियों के समायोजन के संदर्भ में विष्लेषण।
- मूक बधिर विद्यार्थियों की षैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में विष्लेषण।
- मूक बधिर विद्यार्थियों की अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं के संदर्भ में विष्लेषण।
- मूक बधिर विद्यार्थियों के समायोजन एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं के मध्य सहसम्बन्ध के संदर्भ में विष्लेषण।

सारणीयन, वर्गीकरण एवं विष्लेषण

मूक बधिर विद्यार्थियों के समायोजन के संदर्भ में विष्लेषण

मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समायोजन का लिंगभेद एवं विद्यालय की प्रकृति के आधार पर विष्लेषण किया गया है –

परिकल्पना 1 – मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या – 4.1

मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का समायोजन

क्र.सं.	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
1	छात्र	130	39.23	3.88	3.38
2	छात्रा	60	37.38	2.50	

कत्रि188 एवं 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थकता के लिये आवश्यक मान 1.97 है।

आरेख संख्या – 4.1 मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का समायोजन

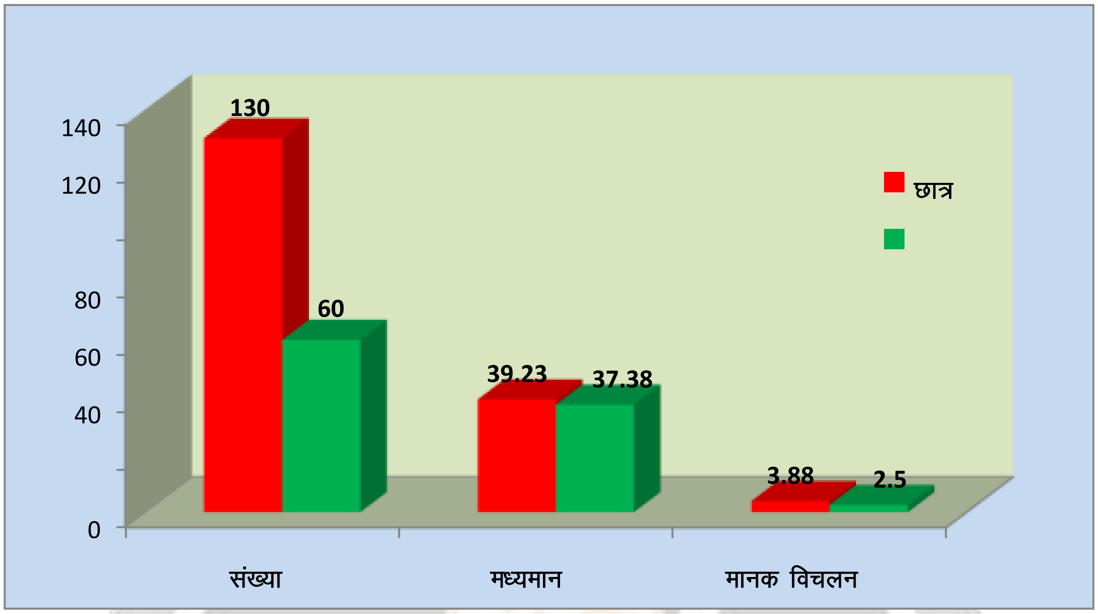

उपर्युक्त तालिका संख्या एवं आरेख संख्या 4.1 में मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के समायोजन सम्बन्धी आँकडों को प्रदर्षित किया गया है। मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 39.23 एवं मानक विचलन 3.88 है। वहीं छात्राओं का मध्यमान 37.38 एवं मानक विचलन 2.5 है। कि 188 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर टी–मूल्य 1.97 है जबकि अवकलित टी–मूल्य 3.38 है अर्थात अवकलित टी–मूल्य सारणी–मूल्य से अधिक है।

अतः परिकल्पना 'मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।' अस्वीकृत होती है। परिणामस्वरूप सामान्यीकरण स्थापित होता है कि मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के समायोजन में अन्तर पाया जाता है। छात्रों का समायोजन छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया।

परिकल्पना 2 – मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अंतर नही पाया जाता है।

तालिका संख्या – 4.2 मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का सामाजिक समायोजन

क्र.सं.	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
1	छात्र	130	9.13	1.30	2.94
2	छात्रा	60	8.50	1.52	

आरेख संख्या – 4.2 मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का सामाजिक समायोजन

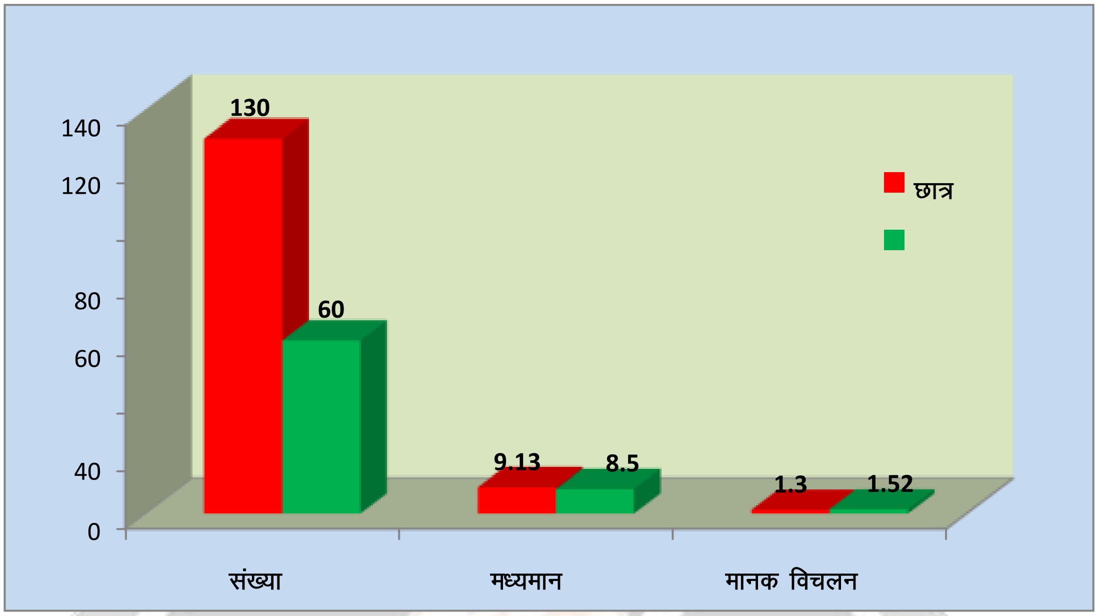

उपर्युक्त तालिका संख्या एवं आरेख संख्या 4.2 के में मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के सामाजिक समायोजन सम्बन्धी आँकडों को प्रदर्षित किया गया है। मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 9.13 एवं मानक विचलन 1.30 है। वहीं छात्राओं का मध्यमान 8.50 एवं प्रमाप 1.52 है। कf 188 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर टी–मूल्य 1.97 है जबकि अवकलित टी–मूल्य 2.94 है अर्थात अवकलित टी–मूल्य सारणी–मूल्य से अधिक है।

अतः परिकल्पना 'मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के समाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।' अस्वीकृत होती है। परिणामस्वरूप सामान्यीकरण स्थापित होता है कि मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के सामाजिक समायोजन में अन्तर पाया जाता है। छात्रों का सामाजिक समायोजन छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया। छात्रों में समूह में कार्य करना ,नए मित्र बनाना ,नेतृत्व प्रदान करना और सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है।

परिकल्पना 3 – मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या – 4.3

मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का संवेगात्मक समायोजन

क्र.सं.	लिंग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य
1	छात्र	130	11.91	2.31	0.56
2	छात्रा	60	11.71	2.26	

आरेख संख्या – 4.3 मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का संवेगात्मक समायोजन

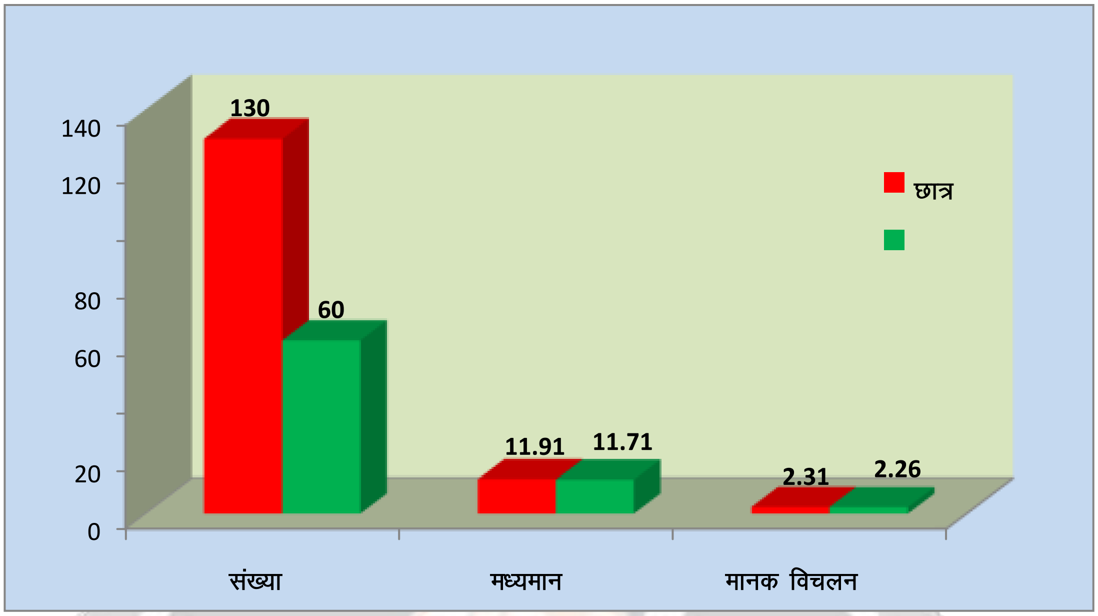

उपर्युक्त तालिका संख्या एवं आरेख संख्या 4.3 में मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन सम्बन्धी आँकडों को प्रदर्षित किया गया है। मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान 11.91 एवं मानक विचलन 2.31 है। वहीं छात्राओं का मध्यमान 11.71 एवं मानक विचलन 2.26 है। कि 188 के लिए 0.05 सार्थकता स्तर पर टी–मूल्य 1.97 है जबकि अवकलित टी–मूल्य 0.56 है अर्थात अवकलित टी–मूल्य सार.ाी– मूल्य से कम है।

अतः परिकल्पना 'मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।' स्वीकृत होती है। परि.ाामस्वरूप सामान्यीकरण स्थापित होता है कि मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन में अन्तर नहीं पाया जाता है।

5. निष्कर्ष एवं शैक्षिक निहितार्थ

शैक्षिक निहितार्थ

प्रत्येक षोधार्थी द्वारा किए गए षोध कार्य को तब तक उपयोगी व सार्थक नहीं माना जा सकता जब तक कि यह षिक्षा के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं करता हो। प्रस्तुत अध्ययन में जो निष्कर्ष उभर कर सामने आए, उसकी षैक्षिक उपयोगिता को निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता है–

- अभिभावकों हेतु ।
- षिक्षकों हेतु ।
- विद्यालय प्रषासन हेतु ।
- समाज हेतु ।
- षिक्षा के नीति निर्माताओं हेतु ।

अभिभावकों हेतु

यह षोध अभिभावकों हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अभिभावक बच्चों के समायोजन स्तर को समझ सकेंगे और उनके सामाजिक, संवेगात्मक, षैक्षिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी समायोजन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे और उन्हें परस्पर समायोजित व्यवहार करने हेतु प्रेरित कर सकेंगे। अभिभावक अपने बालकों की अध्ययन सम्बन्धी समस्याओं को समझ कर उनके कारणों को जानकर

षिक्षकों हेतु

प्रस्तुत षोध अध्ययन के माध्यम से षिक्षक अपने षिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त षिक्षण विधियों, षिक्षण तकनीकी और सहायक सामग्री का प्रयोग का सकेंगे। बालकों को समूह में कार्य कराकर, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करके गतिविधि आधारित षिक्षण द्वारा बालकों में परस्पर सामाजिक समायोजन की भावना विकसित कर सकेंगे। उनके संवेगों को नियंत्रित करने की षिक्षा दे सकेंगे जिससे बालकों का अधिगम स्तर बढ़ेगा और उनकी षैक्षिक उपलब्धि स्तर भी प्रभावित होगा।

विद्यालय प्रषासन हेतु

यह षोध अध्ययन विद्यालय प्रषासन हेतु भी उपयोगी है क्योंकि मूकबधिर विद्यार्थियों के लिए विषिष्ट विद्यालय होते हैं। प्रस्तुत षोध के माध्यम से विद्यालय प्रषासन अपने दायित्व को जान सकेंगे तथा बालकों के लिए प्रषिक्षित अध्यापक, विषिष्ट षिक्षण तकनीकी और भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था पर ध्यान दगें। विद्यालय में अनुषासन की व्यवस्था, छात्र षिक्षक सम्बन्धी समस्याओं को दरू करने का प्रयास करेंगे साथ ही समय–समय पर अभिभावक षिक्षक परिषद् की मीटिंग कर सकेंगे।

समाज हेतु

प्रस्तुत षोध के माध्यम से समाज भी मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान कर सकेगा। समाज उनके प्रति हीन दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं करेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा और उनके प्रति सवंदेनषील होगा। साथ ही समाज में उनके समायोजन के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराएँगे। उनके लिए आवष्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्तर पर भामाषाह के रूप में यथासंभव सहयोग करेगा।

षिक्षा के नीति निर्माताओं हेतु

प्रस्तुत षोध के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मूक बधिर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नीति निर्माण करने वाले सुधीजन धरातल पर आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत हो सकेंगे ताकि व्यावहारिक एवं धरातल से जुडी नीति निर्मित हो सके। इसमें राज्य स्तर पर सरकारी माध्यमिक मूक बधिर विद्यालय खोले जाने की अनुषसं ा की जा सकेगी। साथ ही उनके लिए पाठ्यक्रम, षिक्षण विधियों, मूल्यांकन प्रक्रियाओं को उनकी आवष्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाने की सरकार से अनुषंसा की जा सकेगी जिससे मूक बधिर विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

6. संदर्भ

- अग्रवाल, जे.सी. (2009) षिक्षा मनोविज्ञान नईदिल्ली षिप्रा पब्लिकेषन्स।
- अलकहतानी मोहम्मद अली (2016) रिव्यू ऑफ द लिट्रेचर आन चिल्ड्रन विथ स्पेषल नीड श्रवनतदंस व ि म्कनबंजपवद ंदक चतंबजपबम ष्छ2222. 288ग्(व्दसपदम) अवसनउम 7 छव35 ॒पपेजम.वतह
- बाजपेयी, एल.बी. ए.ड बाजपेयी, अमिता (2006) विषिष्ट बालक लखनउ : भारत बुक सेन्टर।
- बाला, रजनी (2006) एज्यूकेषनल रिसर्च नई दिल्ली : अल्फा पब्लिकेषन्स।
- बलसारा, मैत्रेया (2014) . इन्क्लूषिव एज्यूकेषन फॉर स्पेषल चिल्ड्रन . नई दिल्ली :कनिष्का पब्लिषर्स ए.ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- भटनागर, आर.पी. (1962) . षिक्षा मनोविज्ञान के सांख्यिकीय . मुरादाबाद : कल्या.ाी पब्लिषर्स।
- बिस्वास, ए. ए.ड अग्रवाल, जे.सी. (2005) . एनसाइक्लोपीडिक डिक्षनरी ए.ड डिक्षनरी ऑफ एज्यूकेषन . नई दिल्ली : आर्या बुक डिपो।
- बोर्ग,वाल्टर आर. ए.ड गॉल, मैरिडिथ डी. (1971) . एज्यूकेषनल रिसर्च इन इन्ट्रोडक्षन . द्वितीय एडीषन
- बुच, एम.बी. (1983–88) . फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एज्यूकेषन . वाल्यूम द्वितीय, नई दिल्ली : एन.सी.ई.आर.टी.।
- चार्ल्स, एच. जुड एट ऑल (2005) . डेफीषियन्सिज ए.ड एबनॉर्मलिटीज इन एज्यूकेषन्स साइकोलॉजी . वाल्यूम प्रथम, न्यू देहली : के.एस.के. पब्लिषर्स ए.ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- दास, एम. (2003) . एज्यूकेषन ऑफ एक्सेप्षनल चिल्ड्रन . नई दिल्ली : अटलांटिक पब्लिषर्स ए.ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ।
- दास, एन. (2003) . इन्टीग्रेटेड एज्यूकेषन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेषियल नीड. नई दिल्ली : डोमीनेन्ट पब्लिषर्स।
- धवन, एम.एल. (2005) . लर्नर विद स्पेषल नीड्स . नई दिल्ली : ईषा बुक्स पब्लिकेषन।
- डिसएबल्ड पर्सन इन इ.डिया ए स्टेटिकल प्रोफाइल 2016 ॒

उवेचप.दपब.पद

- फ्लोरियन, लोनी (2014) . द सेज है.डबुक ऑफ स्पेषियल एज्यूकेषन वोल्यूम–1 . नई दिल्ली : सेज पब्लिकेषन्स इ.डिया प्रा.लि.।
- फरगूषन, जी.ए. (1981) . स्टेटिस्टीकल एनालाइसिस इन साइकोलॉजी
  ए.ड एज्यूकेषन . सिंगापुर : मैकग्रा हिल इन्टरनेषनल बुक कम्पनी।
- गैरेट, एच.ई. (1989) . षिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकीय . ग्यारहवां संस्कर.ा, लुधियाना : कल्या.ाी पब्लिषर्स।
- गैरेट, एच.ई. (2006) . स्टेटिक्स इन साइकोलॉजी ए.ड एज्यूकेषन . नई दिल्ली : कोसमॉस पब्लिकेषनस।